संख्याःपीसीएच–एचसी(10)12/2008–तृतीय–रा.वि.आ.
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषकः

सचिव,
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषित,

समस्त,
ग्राम पंचायत प्रधान,
हिमाचल प्रदेश।

शिमला–171009 दिनांक, अगस्त, 2008

विषय ग्राम पंचायतों द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाने पर प्रोत्साहन प्राप्त करने की योजना।

महोदय/महोदया,

तीसरे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को अवधि 2008–09 से 2011–12 तक (10.00 करोड़ प्रति वर्ष) मु0–40.00 करोड़ रू0 की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त संसाधन जुटाने पर यह राशि प्रोत्साहन के रूप में देय होगी। यह प्रावधान किया गया है कि अतिरिक्त संसाधन के रूप में जुटाये गये प्रत्येक अतिरिक्त रूपये के लिए पंचायतें प्रोत्साहन फड़ से राशी प्राप्त करने हेतु हकदार होगी।(योजना की प्रति संलग्न है)

पंचायतें निम्न दो प्रयोजन के लिए प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने का दावा प्रस्तुत करने की हकदार होंगीः–

1. **शुद्ध अतिरिक्त संसाधन जुटाने पर ;**

2. **स्वच्छता,कुडा,कर्कट प्रबन्धन तथा गांव की गलियों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में प्रकाश की व्यवस्था के कार्यकलापों को करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने पर।**

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए अपनी ग्राम पंचायत में अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए कर, फीस तथा शुल्क की वर्तमान दरों को बढ़ाने हेतु पग उठाएं अथवा नये कर, फीस तथा शुल्क लगाने का प्रयास करे, जिससे पंचायतों की न केवल वित्तिय स्थिति सुधरेगी बल्कि ग्राम पंचायतों की सरकारी अनुदान पर निर्भरता भी कम होगी। अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत वैधानिक दायित्व को निभाने एवं स्थानीय स्तर पर नागरिक सेवाएं प्रदान करने मे सुधार होगा जो स्थानीय स्वशासन की ईकाईयों के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है।

भवदीय,

सचिव(पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृ0संख्याः—उपरोक्त— शिमला—171009 दिनांक, अगस्त, 2008

1. समस्त जिला पंचायत अधिकारी हि0प्र0 को इस निर्देश सहित कि इस स्कीम की पंचायत निरीक्षकों के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाए जिससे पंचायतें अतिरिक्त संसाधन पैदा करने हेतु प्रयास करे।
2. समस्त खण्ड विकास अधिकारी को समान आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव(पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

ग्राम पंचायतों द्वारा शुद्ध अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहन राशी प्राप्त करने की योजना।

1.भूमिकाः

ग्राम पंचायतों की खराब स्थिति का एक कारण इन संस्थाओं द्वारा अपने क्षेत्र में कर लगाने में उदासीनता है जिस कारण ये संस्थाएं न केवल विकासात्मक कार्यों को करने बल्कि स्थानीय लोगों को जन सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के अनुदान पर आश्रित है। ग्राम पंचायतों की वर्ष 2005–06 की रिपोर्ट दर्शाती है कि प्रदेश में ग्राम पंचायतों की कर आय(कर, फीस, फाइन और किराया इत्यादि) कुल प्राप्त राशी का केवल 8.5 प्रतिशत है। इसी प्रकार 97 प्रतिशत पंचायतें नागारिक सुविधाएं जैसे स्वच्छता/स्ट्रीट लाईट आदि पर कोई राशी व्यय नही करती।

ग्राम पंचायतों की कमजोर वित्तिय स्थिति तथा उनके द्वारा वैधानिक कार्यों को न करने से यह भ्रम पैदा होता है कि पंचायतें स्थानीय स्वशासन की इकाई नही है बल्कि राज्य सरकार की एजैन्ट है। स्थानीय लोगों की यह अवधारणा पंचायती राज प्रणाली की मुख्य चुनौती है जिस हेतु राज्य के हस्तक्षेप की आवश्कता है। इस दिशा मे एक पग पंचायतों को अपने संसाधन अर्जित करने हेतु प्रोत्साहित करना है ताकि ये संस्थाएं इन्हें सौपें गए कार्यों को करने में सक्षम हो और स्थानी स्वशासन की ईकाई के रूप में विकसित हो सकें।

तीसरे वित्त आयोग की सिफारिशो के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा अवधि 2008–09 से 2011–12 तक मु0 चालीस करोड़ रू0 की प्रोत्साहन राशी का प्रावधान किया गया है। यह राशि ग्राम पंचायतों को ताजा अतिरिक्त संसाधन जुटाने पर प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जाएगी। जो ग्राम पंचायत अपने स्तर पर जितनी अतिरिक्त राशि जुटाएगी वह ग्राम पचांयत प्रोत्साहन फंड से उतनी ही राशि प्राप्त करने की हकदार होगी। आयोग ने यह सिफारिश की है कि प्रोत्साहन राशी प्राप्त करने के लिए विस्तृत स्कीम बनाई जाए जिससे स्कीम को लागू करने में स्पष्टता सुनिश्चित की जा सके।

2. प्रोत्साहन फंड स्थापित करनाः

तीसरे वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य स्तर पर "प्रोत्साहन फंड" स्थापित किया जाएगा तथा पात्र पंचायतों को प्रोत्साहन समय समय पर इस फंड से स्वीकृत किया जाएगा। फंड के दो उप शीर्ष होगे अर्थात एक शीर्ष से शुद्ध अतिरिक्त संसाधन जुटाने के बदले प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा तथा दूसरे शीर्ष में से अधिनियम द्वारा पंचायतों को सौपें गए कार्यों जैसे स्वच्छता, तरल एवं ठोस कूड़ा प्रबन्धन तथा गांव की गलियों एवं सार्वजनिक स्थलो में प्रकाश की व्यवस्था करने हेतु जुटाए गए अतिरिक्त संसाधन की एवज् में प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। फंड में उपलब्ध कुल राशि को उक्त दो उप शीर्षों में बराबर बांटा जाएगा।

3. प्रोत्साहन हेतु दावाः

पंचायत इन दो प्रयोजनों हेतु प्रोत्साहन प्राप्त करने की हकदार होगीः–

(i) शुद्ध अतिरिक्त संसाधन जुटाने पर ;

(ii) स्वच्छता, तरल एवं ठोस कचरा प्रबन्धन तथा गांवो की गलियों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानो में प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने पर।

4.प्रोत्साहन को प्राप्त एवं उपयोग करने हेतु मानदण्डः

(क) शुद्ध अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतुः

उपरोक्त 3(1) के अन्तर्गत शुद्ध अतिरिक्त साधन जुटाने के उद्धेश्य से या तो पंचायतें नया कर, फीस, शुल्क इत्यादि लगाकर अथवा हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100–106 के अन्तर्गत लगाये गए वर्तमान करों एवं फीस की दरों में वढ़ौतरी करके दावा प्रस्तुत कर सकती है।

ग्राम पंचायतें प्रोत्साहन अनुदान को इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त करने हेतु अतिरिक्त स्त्रोतों से वृद्धि को स्पष्ट रूप से सांकेतिक करना होगा। पंचायत निरीक्षक/उप निरीक्षक अंकेक्षक पंचायत निधि में रिकार्ड के आधार पर वास्तव में प्राप्त अतिरिक्त आय के तथ्यों को प्रमाणित करेगें। तदोपरान्त दावों को जिला पंचायत अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को भेजा जाएगा। ग्राम पंचायतें अतिरिक्त स्त्रोतों से प्राप्त आय के बराबर प्रोत्साहन राशी प्राप्त करने की हकदार होगी। **इस वित्तीय वर्ष में यह प्रोत्साहन राशि वित्तीय वर्ष (2006–2007) की तुलना में पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 में जुटाई गई अतिरिक्त राशि के आधार पर प्रदान की जाएगी।** यह राशी पंचायत की असम्बद्ध निधि होगी तथा पंचायत इसे अपने कार्यों पर खर्च करने को स्वतंत्र होगी दावे संलग्न प्रपत्र परिशिष्ट “क” पर प्रस्तुत किए जाएंगे।

(ख) स्वच्छता तथा गलियों को रोशन करने सम्बन्धि वैधानिक कार्यो के निष्पादन हेतु प्रोत्साहनः

उपरोक्त 3(ii) के अन्तर्गत ग्राम पंचायतें द्वारा अतिरिक्त संसाधन से सृजित की गई राशी से दुगनी राशी प्राप्त करने की हकदार होगी। उपरोक्त 3(ii) में वर्णित प्रयोजन के लिए ग्राम पंचायतों को उन्हें वैधानिक रूप से सौंपे गए कार्यों नामतः स्वच्छता, तरल तथा ठोस कचरा प्रबन्धन एवं गलियों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए उसी राशि का सृजन करना होगा। इन कार्यो के निष्पादन हेतु जुटाई गई राशि की एवज में प्रोत्साहन राशी को प्राप्त करने के लिए पंचायतें प्रस्तावना जिला पंचायत अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को भेजेगी जिसमें पंचायतों द्वारा सृजित अतिरिक्त राशि का कुल विवरण स्पष्ट रूप से दिया हो। दावे के साथ इस मद् के लिए प्राप्त की गई राशि का प्रमाण भी संलग्न किए जाएगे। **इस वित्तीय वर्ष में यह प्रोत्साहन राशि वित्तीय वर्ष (2006–2007) की तुलना में पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 में उक्त कार्यों हेतु जुटाई गई अतिरिक्त राशि के आधार पर प्रदान की जाएगी।** राज्य सरकार दावे पर विचार करने

के उपरान्त सम्बंन्धित ग्राम पंचायत को प्रोत्साहन राशि स्वीकृत करेगी। पंचायत प्रोत्साहन राशि से निम्न कार्यों पर व्यय करने को स्वतंत्र होगीः

(i) ठोस कचरे के प्रबन्धन हेतु आवश्यक उपकरणों को क्रय करने पर;

(ii) सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति;

(iii) गली की रोशनी से सम्बन्धित बिजली के बिल की अदायगी पर।

दावे सम्बन्धी प्रपत्र परिशिष्ट–ख पर प्रस्तुत किए जाएंगे।

5. परिणामः

योजना पंचायत को वर्तमान करों/फीस/शुल्क इत्यादि की दरों में वृद्धि नए करों/फीस/शुल्क इत्यादि का आरोपण करके अतिरिक्त स्त्रोतों के जुटाने हेतु प्रेरित करेगी जिससे पंचायत की वित्तिय स्थिति में सुधार होगा तथा सरकारी अनुदान पर पंचायत की निर्भरता कम होगी। दूसरी ओर पंचायत अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत दिए गए वैधानिक दायित्वों के निष्पादन में रूचि लेगी तथा पंचायत क्षेत्र में नागरिक सुविधाएं/सेवाएं सुधरेगी जो स्थानीय निकाय का सबसे महतवपूर्ण कार्य है।

परिशिष्ट–क

शुद्व अतिरिक्त संसाधन जुटाने की एवज् में प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु दावे को प्रस्तुत करने का प्रपत्र

1. पंचायत का नाम
2. विकास खण्ड का नाम
3. जिला का नाम

(अ) पंचायत के पूर्व में संसाधन (वित्तीय वर्ष 2007–2008 दावे के वर्ष से पूर्व का एक वर्ष)

क्र0सं0	करो फीस एवं अन्य करो का नाम	दर प्रति मास/प्रति वर्ष	वर्ष में कुल एकत्रित कर	टिप्पणी, यदि कोई हो
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**

(ब) पंचायत द्वारा सृजित अतिरिक्त संसाधन(दावे का वर्ष 2007–08)

क्र0सं0	पंचायत द्वारा लगाए गए नये करों फीसों और अन्य अधिभार का नाम प्रतिवर्ष/ प्रतिमास दर सहित	नये कर/ अधिभारों से अर्जित निधि	वर्तमान करों की दर में वृद्वि का विवरण जैसेकि – रूपये से – किया गया	टैक्स तथा अन्य अधिभारों की दरों में वृद्वि के कारण पंचायत द्वारा अर्जित अतिरिक्त निधि	नये कर/ अधिभार लगाने तथा वर्तमान कर/अधिभार की दरों में वृद्वि से पंचायत की शुद्ध अतिरिक्त निधि(3+5)
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**

प्रधान के हस्ताक्षर **पंचायत सचिव/सहायक के हस्ताक्षर**

परिशिष्ट–ख

स्वच्छता, तरल/ठोस कुडा कचरा प्रवन्धन एवं स्ट्रीट लाईट हेतु सृजित संसाधन के बदले प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र।

1. ग्राम पंचायत का नाम
2. विकास खण्ड का नाम
3. जिला का नाम

(अ) पंचायत के पूर्व में संसाधन(वित्तीय वर्ष 2007–2008, दावे के वर्ष से पूर्व का एक वर्ष)

क्र0सं0	सृजित किए गए संसाधनों का विवरण	संसाधन सृजित करने के मानक	सृजित संसाधनों की राशी तथा पंचायत लेखो में जमा,राशी(रोकड वही व खाता वही का पृ0 दिया जाए)	टिप्पणी, यदि कोई हो
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**

(ब) पंचायत द्वारा सृजित अतिरिक्त संसाधन(दावे का वर्ष 2007–08)

क्र0सं0	सृजित किए गए नये संसाधनों का विवरण	नये संसाधन सृजित करने के मानक	नये सृजित संसाधनों की राशी तथा पंचायत लेखो में जमा,राशी (रोकड वही व खाता वही का पृ0 दिया जाए)	टिप्पणी, यदि कोई हो
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**

प्रधान के हस्ताक्षर **पंचायत सचिव/सहायक के हस्ताक्षर**

<u>Scheme for availing Incentive against the net fresh Additional Resource Mobilization by Gram Panchayats.</u>

1. <u>Background:</u>

One of the reasons of weak financial position of the Panchayats is their reluctance to impose taxes in their area due to which these bodies are largely dependent on the State Government grant not only for undertaking developmental works but also for other small functions like providing civic amenities to the local people. A report on the finances of Gram Panchayats in Himachal Pradesh for the year 2005-06 reveals that the income from the tax revenue (tax, fees, fines rent etc.) of Gram Panchayats in the State constitute a negligible 8.5% of the total receipt of the Panchayat. Similarly 97% of the Gram Panchayat spends no money on providing civic amenities like sanitation/street lighting etc.

The weak financial position of the Panchayats and their non-performance of statutory functions is creating the misconception in the rural areas that the Panchayat are not a unit of self governance but is an agent of the State Government. This is the major challenge for the Panchayati Raj system for which State Intervention is required. One of the steps towards this directions can be to encourage the PRIs to generate their own resources and perform their statutory functions by providing incentive to these Institutions. This issue had been the cause of concern for the various States Finance Commissions constituted to give recommendations for strengthening the financial position of Panchayati Raj Institutions.

The 3rd State Finance Commission in its recommendations has made a provision of an incentive fund of Rs. 40.00 crore for the period 2008-09 to 2011-12 (Rs. 10.00 crore per year). It has recommended that the Gram Panchayats could avail the incentive against the net fresh Additional Resource Mobilization by these bodies. It has been provided that for every additional rupee of Net Fresh Additional

Resource Mobilization, the Panchayats could be entitled to double the amount out of this incentive fund. The commission has also recommended that a detailed scheme for availing the incentive fund may be drafted so as to ensure clarity in the administration of scheme.

2. <u>Establishment of incentive fund</u>:

As per recommendation of 3rd State Finance Commission an incentive fund will be established at the State level and incentive to the eligible Panchayats will be sanctioned from this fund from time to time. The fund will have two sub-heads i.e. one for providing incentive in lieu of net fresh additional resource mobilization and another for providing incentive for raising resources to undertake the statutory function of sanitation, liquid and solid waste management and lighting of village streets and other public places. The fund will be equally divided between above two sub-heads.

3. <u>Claim for Incentive:</u>

The Panchayat will be entitled for claiming incentive in following two streams:

(i) Net Additional Resource Mobilization;

(ii) Resource mobilization for undertaking the activities of sanitation, solid waste management & lighting of village street and other public places.

4. <u>Criteria for getting and utilizing of incentive:</u>

(A): <u>Net Fresh Additional Resource Mobilization</u>:

Net Fresh Additional Resource Mobilization for the purpose of 3(i) above shall mean any additional revenue accrual to the Gram Panchayat by way of either a fresh levy to be introduced by the Panchayat or by way of increase in the existing rates of various taxes, fees or levies being imposed by the Gram Panchayat

under section 100-106 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994. The claim for availing the incentive grant under the scheme should clearly indicate the additional resource mobilized by the Gram Panchayat in comparison to the preceding year collection. The Panchayat Inspector/Sub-Inspector/Auditor shall verify the facts of Additional Resource Mobilization by Gram Panchayat on the basis of record and actual receipt in the Panchayat fund. Thereafter, the claim will be submitted to Directorate through District Panchayat Officer. The Panchayat will be entitled to double the amount of net additional resource mobilization out of incentive fund. **The incentive grant in this financial year will be provided on the basis of additional resource generated by the Panchayat in the financial year 2007-08 in comparison to its resources generated in the financial year i.e. 2006-07.** This will be untied fund of the Panchayat and Panchayat will free to incur expenditure on any of its functions. The proforma for submitting the claim is at **Annexure "A".**

(B): Incentive for performing statutory functions of sanitation and street lighting:

The Panchayat will be entitled for incentive under 3(ii) above double to the amount of the resource generated by the Gram Panchayat specifically for the purpose mentioned in 3(ii) above. The Panchayat will generate the resources for undertaking the statutory functions namely sanitation, liquid and solid waste management and lighting of village streets and other public places. The case for availing incentive in lieu of performing these functions will be submitted to the Directorate through District Panchayat officer clearly indicating the total amount of resources raised by the Panchayat. Documentary proof of raising such resources shall also be enclosed with the claim. **The incentive grant in this financial year will be provided on the basis of additional resource generated by the Panchayat in the financial year 2007-08 in comparison to its resources generated in the financial year i.e. 2006-07 for performing above functions.** The State Government after considering the claim may sanction the incentive to the Panchayat concerned. The

Panchayat out of this incentive grant will be free to incur the following expenditure:-

(i) Purchase of machinery required for solid waste management;

(ii) Recruitment personal for sweeping and sanitation purposes;

(iii) Payment of electricity bill on account of street lighting.

The proforma for submitting the claim is at **Annexure "B".**

5. **Outcome**:

The scheme will encourage the Panchayat to make efforts for additional resource generation by increasing the rates of existing of taxes or by levying new taxes which will improve the financial position of the Panchayat and lessen the dependence of the Panchayat on government grant. Secondly the Panchayat will take interest in performing the statutory duty as per provision of the Act and will improve the service delivery and civic amenities in the Panchayat area which is one of the most important functions of local self government.

Annexure "A"

Proforma for submitting the claim for incentive under Net Fresh Additional Resource Mobilization

1. **Name of Gram Panchayat**
2. **Name of Dev. Block**
3. **Name of District**

(a) Previous resources of the Panchayat (Year 2007-08 i.e. one year before the claim year):

Sr. No.	Name of taxes, fees or other levies	Rate per month/per year	Total tax collected during the year	Remarks, if any.
1.	2	3	4	5

(b) Additional resources generated by the Panchayat(Claim year i.e. 2007-08):

Sr. No.	Name of new taxes, fees or other levies with rate per month/per year.	Resources generated due to new taxes/ levies etc.	Detail of increase in the existing rate of levies i.e. increased from Rs.- to Rs…	Additional resources generated due to increase in the rates of taxes/levies	Net additional resource generated due to increase in the rate of levies and by imposing new taxes etc (3+5)
1.	2	3	4	5	6

Signature of Pradhan **Signature of Secretary/Sahayak**

Annexure "B"

Proforma for submitting the claim for incentive under in lieu of resource raised on Sanitation, Liquid/solid management and street lighting.

1. **Name of Gram Panchayat**
2. **Name of Dev. Block**
3. **Name of District**

(a) Previous resources of the Panchayat(Year 2007-08 i.e. one year before the claim year):

Sr. No.	Detail of the resources generated	Norms of the resources generated	Amount of resources generated and deposited in the Panchayat account (page no. of cash book and ledger be given)	Remarks, if any.
1.	2	3	4	5

(b) Additional resources generated by the Panchayat(Claim year i.e. 2007-08):

Sr. No.	Detail of the additional resources generated	Norms of the additional resource generation	Amount of additional resources generated and deposited in the Panchayat account (page no. of cash book and ledger be given)	Remarks, if any.
1.	2	3	4	5

Signature of Pradhan **Signature of Secretary/Sahayak**